प्रेस नोट दिनांक 12.04.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना लीलापुर पुलिस की सख्त कार्यवाही
सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़फोड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
-दिनांक 28.07.2024 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत विधुत उपकेन्द्र रानीगंज अजगरा पर वादी के साथ लाठी डण्डों से तोड़फोड़ करने व जानलेवा हमला करने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
-थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत शमशेरगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 28.07.2024 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत विधुत उपकेन्द्र रानीगंज अजगरा पर वादी के साथ लाठी डण्डों से तोड़फोड़ करने व जानलेवा हमला करने के प्रकरण में आरोपी्गणो के विरूद्ध थाना लीलापुर पर मु0अ0स0 313/24 धारा 191(2)/115(2)/121(1)/132/109/324 (4) बीएनएस व सार्वजनिक संपत्ती निवारण अधिनियम 1984 व 7 सीएलए एक्ट के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में मै उ0नि0 प्रशांत कुमार मय हमराह उ0नि0 विपिन चन्द्र यादव, का0 सौरभ यादव, का0 अजय कुमार यादव द्वारा मु0अ0सं0- 313/24 उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित 01 अभियुक्त 1- अजीत सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह निवासी भईया की सराय सरायआनादेव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शमशेरगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
1- अजीत सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह निवासी भईया की सराय सरायआनादेव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
1- उ0नि0 प्रशांत कुमार मय हमराह उ0नि0 विपिन चन्द्र यादव, का0 सौरभ यादव, का0 अजय कुमार यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.04.2025
थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़

बीट मुख्य आरक्षी व आऱक्षी की सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार
थाना कोहडौर के आरक्षियों ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजो
आरक्षी राहुल कुमार व आरक्षी संतोष कुमार यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोहडौर के आरक्षी राहुल कुमार व आरक्षी संतोष कुमार यादव को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र
थाना कोहडौर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत धरौली मधुपुर मोड़ के पास से गैंगस्टर 01 अभियुक्त, 01. हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 राम अवध वर्मा निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर हत्या का प्रय़ास, चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर आरक्षी राहुल कुमार व आरक्षी संतोष कुमार यादव के सहयोग से थाना कोहडौर पुलिस द्वारा थाना अन्तू के मु0अ0सं0 95/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगेस्टर अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ में वांछित 01 अभियुक्त, 01. हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 राम अवध वर्मा निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ को कल दिनांक 11.04.2025 को थाना कोहडौर क्षेत्रान्तर्गत धरौली मधुपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 राम अवध वर्मा निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 राम अवध वर्मा निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01- मु0अ0सं0 145/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
02- मु0अ0सं0 532/24 धारा 109(1)/317(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
03- मु0अ0सं0 95/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगेस्टर अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र सुवंसा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 14.01.2025 को वादी की पुत्री को आरोपी संटू सरोज सुत अमृतलाल सरोज निवासी ग्राम - आशापुर थाना फतनपुर, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0स0 15/2025 धारा 87 / 137 (2)BNS बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी द्वारा दिनांक 12.04.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0स0 15/2025 धारा 87/137 (2)BNS से संबंधित वांछित 1. राजेश कुमार सरोज उर्फ संटू सरोज पुत्र स्व0 अमृतलाल सरोज उम्र करीब 23 वर्ष नि०ग्राम आशापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र फतनपुर के सुवंसा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राजेश कुमार सरोज उर्फ संटू सरोज पुत्र स्व0 अमृतलाल सरोज उम्र करीब 23 वर्ष नि०ग्राम आशापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

दिनांक 21.03.2025 को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत दो पक्षों के मध्य भूमि विवाद में मौके पर पहुँची पुलिस टीम के साथ अभद्रता, गाली गलौज कर हमलावर होने के प्रकरण में 01 अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना कन्धई पुलिस की सख्त कार्यवाही-
थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ट्रैजरी चौराहा टेम्पू स्टैण्ड के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
थाना कंधई पुलसि द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है-

प्रतापगढ़।
दिनांक 21.03.2025 की शाम में कन्धई के ग्राम दरछूट में दो पक्षों के मध्य भूमि संबंधी विवाद था। जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके पर पहुँची थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को समझाया- बुझाया जा रहा था कि अचानक आरोपीगणों द्वारा पुलिस टीम के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज कर सरकारी कार्य में व्यवधान डालते हुए हमलावर होने के प्रकरण में कन्धई पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 21.03.2025 को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दरछूट में दो पक्षों के मध्य भूमि संबंधी विवाद था। जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके पर पहुँची पुलिस टीम के साथ आरोपीगणों द्वारा अभद्रता व गाली गलौज कर कार्य सरकार में व्यवधान डालते हुए हमलावर हो गये। इस संबंध में थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 63/ 25 धारा 191(2), 352, 351(2), 351(3), 132, 121(1), 118(1) बीएनएस बनाम 06 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कन्धई श्री गुलाब चन्द्र सोनकर के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का० अभिनव व का0 सौरभ बघेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मूखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 रामकेदार नि0ग्राम दरछुट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ट्रैजरी चौराहा टेम्पू स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोग से संबंधित पूर्व में दिनांक-22.03.2025 को 01 अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र स्व0 रामकेदार निवासी ग्राम दरछुट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 रामकेदार नि0ग्राम दरछुट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का० अभिनव व का0 सौरभ बघेल थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त व 01 वारण्टी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कोहंडौर के उप निरीक्षक प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह हे0का0 लालबाबू शुक्ला व का० प्रवीण यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 449 / 24, मु0अ0सं0 45 / 23 धारा 147/452/323/504 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रिजवान पुत्र नसीम उम्र करीब 32 वर्ष निवासी सोनबरसा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के मदाफरपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

थाना कोहंडौर के उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह का० प्रवीण यादव, म0हे0 का0 विद्या तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 353/2017 अ0सं0 194/2016 धारा 147/323/325/504 भादवि व 3 (1) X एससी/एसटी एक्ट थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्ता को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-
1. रिजवान पुत्र नसीम उम्र करीब 32 वर्ष निवासी सोनबरसा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
2. 01 अभियुक्ता।

पुलिस टीम-
01. उप निरीक्षक प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह हे0का0 लालबाबू शुक्ला व का० प्रवीण यादव
02. उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह का० प्रवीण यादव, म0हे0 का0 विद्या तिवारी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।